



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 511]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 सितम्बर 2018—भाद्र 29, शक 1940

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2018

अधि. सूचना क्र. 29-एफ-10-01-2015-अठारह-2.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 109 के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नगरपालिका नीमच सीमा अंतर्गत छावनी क्षेत्र स्थित भूमि व्यवस्थापन नियम, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

संशोधन

1. उक्त नियमों में, नियम 7 उपनियम (1) में निम्न संशोधन किया जाता है, अर्थात्:—

पीठासीन अधिकारी—“अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नीमच” के स्थान पर “डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न राजस्व अधिकारी” पढ़ा जाए।

Notification S. No. 29F-10-01-2015-XVIII-2.—The State Govt. by powers conferred under Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 year 1961) U/S 109 read along with section 355 makes following amendment in Settlement of land located within cantonment area under Municipal council Neemuch Rules, 2017.

### AMENDMENT

1. Sub-rule (1) of rule 7 shall be amended as follows:—

Prosiding officer—“Sub divisional Officer (Revenue) Neemuch,” shall be read as “Revenue Officer not below rank of Duputy Collector.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
लोकेश कुमार जांगिड, उपसचिव.